न्याय आपके द्वार कैम्प..............201

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत,न्याय आपके द्वार 2018 / कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार(आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / 76 / 2018

दायर दि० 24/5/2018
फैसल दि० 24/5/2018

अनवान

श्री ....जगदीश बरोरा.... बनाम ....भूमिधारी....
....पि जवजी.... ....तहसीलदार सागवाडा....
(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री ....जगदीश बरोरा/जवजी.... ने वाद प्रस्तुत कर मोजा ....गामड़ा ब्रा. (बाधमारिया).... की खाता नम्बर ....315,139.... जमाबन्दी सं0....2072-75.... में अंकित स्वयं/पिता का नाम ....नाबालिग जगदीश बरोरा.... गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम ....जगदीश बरोरा.... है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम ....नाबालिग जगदीश बरोरा.... दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वंय/पिता का सही नाम ....जगदीश बरोरा बालिग.... होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एंव पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा ....गामड़ा ब्रा. (बाधमारिया).... की जमाबन्दी संवत ....2072-75.... के खाता संख्या ....315, 39.... में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम ....नाबालिग जगदीश बरोरा.... में संशोधन कर सही नाम ....जगदीश बरोरा बालिग.... दर्ज रेकार्ड किया जावे।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner